कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी.- 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 357/2026 **प्रेस विज्ञप्ति** दिनांक- 11.09.2026

थाना–तरवां, जनपद–आजमगढ़

☐ गैंगस्टर एक्ट से सम्बन्धित 25-25 हजार रुपये के 02 इनामी वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

☐ जामवन्त यादव उर्फ जमुना गैंग के सदस्य सुमित यादव व प्रद्युम्न यादव गिरफ्तार, वाराणसी एवं भदोही तक फैला आपराधिक नेटवर्क

☐ गैंग के प्रमुख सदस्य जामवन्त यादव उर्फ जमुना के विरुद्ध लूट, हत्या के प्रयास, रंगदारी व अवैध असलहे सहित 32 मुकदमे दर्ज; गैंग के 04 अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई

घटना एवं कार्रवाई का विवरण–

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने तथा संगठित अपराध में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट सहित प्रभावी निरोधात्मक कार्रवाई के क्रम में थाना तरवां पुलिस द्वारा गैंगचार्ट तैयार कर कार्रवाई की जा रही है।

पूर्व में थाना तरवां क्षेत्र में मिट्टी उठाने के विवाद को लेकर दिनांक 01.01.2021 को जामवन्त यादव उर्फ जमुना यादव एवं हीरालाल यादव द्वारा वादी के घर पहुंचकर गाली-गलौज करते हुए अवैध असलहे से जान से मारने की नीयत से फायर करने के संबंध में मु0अ0सं0 03/2021 धारा 307/504/506 भादवि पंजीकृत हुआ था। विवेचना के दौरान जामवन्त यादव उर्फ जमुना यादव की पीसीआर के दौरान उसके कब्जे से .315 बोर का देशी तमंचा बरामद हुआ था।

इसी क्रम में दिनांक 28.04.2025 को थाना मिर्जामुराद, जनपद वाराणसी में मु0अ0सं0 86/2025 धारा 309(4) बीएनएस अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध पंजीकृत हुआ था। विवेचना के दौरान जामवन्त यादव उर्फ जमुना यादव, सुमित यादव एवं प्रद्युम्न यादव के नाम प्रकाश में आये तथा धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया। प्रकाश में आये अभियुक्तों के आपराधिक कृत्यों एवं पूर्व आपराधिक इतिहास के आधार पर उनके विरुद्ध उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत कार्रवाई हेतु गैंगचार्ट तैयार कर सक्षम स्तर से अनुमोदन की कार्रवाई की जा रही है। गैंग के 04 अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी निरोधात्मक कार्रवाई की जा रही है। गैंग के सदस्य जामवन्त यादव उर्फ जमुना यादव एवं हीरालाल यादव को पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित

वांछित अभियुक्त सुमित यादव एवं प्रद्युम्न यादव की गिरफ्तारी हेतु लगातार प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तारी न होने पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा दिनांक 06.09.2026 को दोनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु 25-25 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित किया गया था।

गिरफ्तारी का विवरण–

आज दिनांक 12.09.2026 को थानाध्यक्ष तरवां राजीव सिंह मय हमराह पुलिस बल द्वारा मु0अ0सं0 86/2025 थाना मिर्जामुराद, जनपद वाराणसी से सम्बन्धित वांछित एवं 25-25 हजार रुपये के इनामी अभियुक्त—

1. *सुमित यादव पुत्र राकेश यादव, उम्र करीब 23 वर्ष, निवासी झरिहंगपुर, थाना कोईरौना, जनपद भदोही।*
2. *प्रद्युम्न यादव पुत्र रमाशंकर यादव, उम्र करीब 26 वर्ष, निवासी मन्नीपुर, थाना कोईरौना, जनपद भदोही।*

को थाना तरवां एवं मेहनाजपुर सीमा पर पुलिया के पास, ग्राम नूरपुर/भंवरपुर थाना तरवां क्षेत्र से समय करीब 09:35 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास–

1. सुमित यादव पुत्र राकेश यादव

1. मु0अ0सं0 86/2025 धारा 309(4)/317(2) बीएनएस, थाना मिर्जामुराद, वाराणसी।
2. मु0अ0सं0 46/2024 धारा 120बी/302/307/506 भादवि व 3/74/25/27 आर्म्स एक्ट, थाना औराई, भदोही।
3. मु0अ0सं0 150/2024 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगस्टर एक्ट, थाना औराई, भदोही।

2. प्रद्युम्न यादव पुत्र रमाशंकर यादव

1. मु0अ0सं0 86/2025 धारा 309(4)/317(2) बीएनएस, थाना मिर्जामुराद, वाराणसी।
2. मु0अ0सं0 270/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना मिर्जामुराद, वाराणसी।

3. आपराधिक इतिहास

3. अभियुक्त जामवन्त यादव उर्फ जमुना यादव पुत्र अछैवर यादव, निवासी सरायभादी, थाना तरवाँ, जनपद आजमगढ़

1. मु0अ0सं0 105/2014 धारा 147/148/149/302/307/323/504/506 भादवि, थाना तरवाँ, आजमगढ़।
2. मु0अ0सं0 451/2016 धारा 307/324/398 भादवि, थाना सैदपुर, गाजीपुर।
3. मु0अ0सं0 184/2016 धारा 394/411 भादवि, थाना गम्भीरपुर, आजमगढ़।
4. मु0अ0सं0 186/2016 धारा 394/411 भादवि, थाना गम्भीरपुर, आजमगढ़।
5. मु0अ0सं0 192/2016 धारा 394/411 भादवि, थाना गम्भीरपुर, आजमगढ़।
6. मु0अ0सं0 287/2016 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट, थाना गम्भीरपुर, आजमगढ़।
7. मु0अ0सं0 157/2016 धारा 392 भादवि, थाना जहानागंज, आजमगढ़।
8. मु0अ0सं0 174/2016 धारा 34/307 भादवि, थाना जहानागंज, आजमगढ़।
9. मु0अ0सं0 295/2016 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट, थाना जहानागंज, आजमगढ़।
10. मु0अ0सं0 197/2016 धारा 394/411 भादवि, थाना मेहनगर, आजमगढ़।
11. मु0अ0सं0 147/2016 धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट, थाना तरवाँ, आजमगढ़।
12. मु0अ0सं0 113/2016 धारा 394/411 भादवि, थाना रानी की सराय, आजमगढ़।
13. मु0अ0सं0 115/2016 धारा 379/411 भादवि, थाना रानी की सराय, आजमगढ़।
14. मु0अ0सं0 145/2016 धारा 34/307 भादवि, थाना सिधारी, आजमगढ़।
15. मु0अ0सं0 148/2016 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट, थाना सिधारी, आजमगढ़।
16. मु0अ0सं0 151/2016 धारा 41/411/419/420/467/468/471 भादवि, थाना सिधारी, आजमगढ़।
17. मु0अ0सं0 24/2016 धारा 41/411 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना तरवाँ, आजमगढ़।
18. मु0अ0सं0 160/2017 धारा 386 भादवि, थाना मेहनाजपुर, आजमगढ़।
19. मु0अ0सं0 113/2017 धारा 394/411 भादवि, थाना मेहनगर, आजमगढ़।
20. मु0अ0सं0 179/2017 धारा 394 भादवि, थाना मेहनगर, आजमगढ़।
21. मु0अ0सं0 185/2017 धारा 386 भादवि, थाना मेहनगर, आजमगढ़।
22. मु0अ0सं0 185/2017 धारा 386 भादवि, थाना तरवाँ, आजमगढ़।
23. मु0अ0सं0 108/2017 धारा 386/506 भादवि, थाना तरवाँ, आजमगढ़।
24. मु0अ0सं0 96/2018 धारा 386/507 भादवि, थाना तरवाँ, आजमगढ़।
25. मु0अ0सं0 66/2018 धारा 120बी/307 भादवि, थाना तरवाँ, आजमगढ़।
26. मु0अ0सं0 75/2018 धारा 120बी/307/386/504 भादवि, थाना तरवाँ, आजमगढ़।
27. मु0अ0सं0 138/2019 धारा 307 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना तरवाँ, आजमगढ़।
28. मु0अ0सं0 138/2019 धारा 307 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना तरवाँ, आजमगढ़।
29. मु0अ0सं0 18/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना तरवाँ, आजमगढ़।
30. मु0अ0सं0 03/2021 धारा 307/504/506 भादवि, थाना तरवाँ, आजमगढ़।
31. मु0अ0सं0 231/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना कोतवाली, आजमगढ़।
32. मु0अ0सं0 86/2025 धारा 309(4)/317(2) बीएनएस, थाना मिर्जामुराद, वाराणसी।

4. अभियुक्त हीरालाल यादव पुत्र अछैवर यादव, निवासी सरायभादी, थाना तरवाँ, जनपद आजमगढ़

1. मु0अ0सं0 03/2021 धारा 307/504/506 भादवि, थाना तरवाँ, आजमगढ़।
2. मु0अ0सं0 106/2026 धारा 3(5)/115(2)/352/351(3)/126 बीएनएस, थाना तरवाँ, आजमगढ़।
3. मु0अ0सं0 146/2014 धारा 323/504/506/452 भादवि, थाना तरवाँ, आजमगढ़।
4. मु0अ0सं0 313/2016 धारा 147/323/452/504/506 भादवि व 3(1)(10) एससी/एसटी एक्ट, थाना तरवाँ, आजमगढ़।

गैंग के प्रमुख सदस्य जामवन्त यादव उर्फ जमुना का आपराधिक इतिहास–

जामवन्त यादव उर्फ जमुना यादव के विरुद्ध लूट, हत्या के प्रयास, रंगदारी, गैंगस्टर एक्ट, अवैध असलहा, एनडीपीएस एक्ट सहित कुल *32 अभियोग* पंजीकृत हैं, जिनमें थाना तरवां, जहानागंज, गम्भीरपुर, मेहनगर, सिधारी, रानी की सराय, मेहनाजपुर, कोतवाली आजमगढ़, सैदपुर गाजीपुर एवं मिर्जामुराद वाराणसी के अभियोग शामिल हैं।

हीरालाल यादव का आपराधिक इतिहास–

हीरालाल यादव के विरुद्ध थाना तरवां में हत्या के प्रयास, मारपीट, धमकी एवं एससी/एसटी एक्ट सहित कुल 04 अभियोग पंजीकृत हैं। उसे पूर्व में गैंगस्टर एक्ट से सम्बन्धित कार्रवाई में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

पुलिस टीम–

थानाध्यक्ष तरवां *राजीव सिंह* मय हमराह पुलिस बल, थाना तरवां, जनपद आजमगढ़।

थाना–तहबरपुर, जनपद–आजमगढ़
☐ गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, पंजाब से 48 घंटे के ट्रांजिट रिमाण्ड पर लाया गया
☐ अन्तर्राज्यीय अवैध शराब तस्करी गिरोह के सदस्य सुखविन्दर सिंह को STF लखनऊ की टीम ने पंजाब से किया गिरफ्तार
☐ हरियाणा-पंजाब से अवैध अंग्रेजी शराब खरीदकर DCM के टूल बॉक्स में छिपाकर बिहार ले जाने वाले गिरोह पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई

घटना/इतिहास का संक्षिप्त विवरण–
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने तथा संगठित अपराध में संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट सहित प्रभावी निरोधात्मक कार्रवाई के क्रम में थाना तहबरपुर पुलिस द्वारा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु लगातार कार्रवाई की जा रही है।

दिनांक 11.03.2025 को थाना तहबरपुर पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान टीकापुर तिराहा क्षेत्र से पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के मघसिया अण्डरपास के पास दो DCM वाहनों को रोककर तलाशी ली गयी थी। तलाशी के दौरान दोनों DCM वाहनों के टूल बॉक्स से पंजाब एवं हरियाणा निर्मित कुल *40 पेटी में 480 बोतल अंग्रेजी शराब, कुल 360 लीटर, कीमत करीब ₹2,21,400/-* बरामद हुई थी। इस दौरान 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था तथा 02 DCM वाहन एवं 02 मोबाइल फोन भी बरामद हुए थे।
इस संबंध में थाना तहबरपुर पर *मु0अ0सं0 55/2025 धारा 60/63/72 आबकारी अधिनियम* पंजीकृत किया गया था। विवेचना के दौरान उक्त अवैध शराब तस्करी में राजू सिंह, सुखविन्दर सिंह एवं गुरुप्रीत सिंह के नाम प्रकाश में आये। अभियुक्तों द्वारा आर्थिक, भौतिक एवं दुनियाबी लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से संगठित रूप से अन्तर्राज्यीय स्तर पर अवैध शराब की तस्करी किये जाने के तथ्य प्रकाश में आये।

उक्त अभियुक्तों के आपराधिक कृत्यों के आधार पर *उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, 1986* के अन्तर्गत गैंगचार्ट तैयार किया गया, जिसका अनुमोदन दिनांक 25.01.2026 को किया गया। इसके आधार पर थाना तहबरपुर पर *मु0अ0सं0 18/2026 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट* पंजीकृत किया गया। मुकदमे की विवेचना थाना कप्तानगंज द्वारा की जा रही है।
गिरफ्तारी का विवरण–
वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में एसटीएफ मुख्यालय लखनऊ की टीम द्वारा पंजाब प्रान्त में लगातार दबिश एवं मुखबिर तंत्र के माध्यम से अभियुक्तों की तलाश की जा रही थी।
दिनांक 10.09.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना बडाली आलासिंह, जनपद फतेहगढ़ साहिब, पंजाब पुलिस के सहयोग से अभियुक्त *सुखविन्दर सिंह पुत्र गुरूनाम सिंह, निवासी किला मोहल्ला वार्ड नं0 4, रूम नं0 171, बस्सी पठाना, थाना बस्सी पठाना, जनपद फतेहगढ़ साहिब, पंजाब, उम्र करीब 28 वर्ष* को थाना परिसर के पास से समय करीब 18:30 बजे गिरफ्तार किया गया।
गिरफ्तारी के पश्चात अभियुक्त को नियमानुसार मेडिकल परीक्षण हेतु भेजकर माननीय न्यायालय फतेहगढ़ साहिब, पंजाब के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से *48 घंटे का ट्रांजिट रिमाण्ड* प्राप्त हुआ। ट्रांजिट रिमाण्ड के उपरान्त अभियुक्त को आज दिनांक 12.09.2026 को थाना तहबरपुर लाया गया। अभियुक्त को माननीय न्यायालय आजमगढ़ के समक्ष प्रस्तुत करने की विधिक कार्यवाही प्रचलित है।
गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण–
*सुखविन्दर सिंह पुत्र गुरूनाम सिंह,*निवासी किला मोहल्ला वार्ड नं0 4, रूम नं0 171, बस्सी पठाना, थाना बस्सी पठाना, जनपद फतेहगढ़ साहिब, पंजाब, उम्र करीब 28 वर्ष।
पंजीकृत अभियोग–
मु0अ0सं0 18/2026 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, थाना तहबरपुर, जनपद आजमगढ़।
आपराधिक इतिहास–
1. मु0अ0सं0 55/2025 धारा 60/63/72 आबकारी अधिनियम, थाना तहबरपुर, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम–
1. उ0नि0 चन्द्रप्रकाश मिश्र, एसटीएफ मुख्यालय लखनऊ।
2. हे0का0 कवीन्द्र साहनी, एसटीएफ मुख्यालय लखनऊ।
3. हे0का0 मृत्युंजय कुमार सिंह, एसटीएफ मुख्यालय लखनऊ।
4. हे0का0 यशवन्त सिंह, एसटीएफ मुख्यालय लखनऊ।
5. का0 बीर प्रताप, एसटीएफ मुख्यालय लखनऊ।
6. का0 चालक शिवबीर सिंह, एसटीएफ मुख्यालय लखनऊ।

थाना–कोतवाली, जनपद–आजमगढ़

□ न्यायालय परिसर से चोरी मोटरसाइकिल बरामद, 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

□ करीब 01 वर्ष पूर्व जजी मैदान से चोरी की गयी थी मोटरसाइकिल, पहचान छिपाने के लिए चेचिस व इंजन नम्बर खुरचकर मिटाये तथा बदली नम्बर प्लेट

घटना का संक्षिप्त विवरण–

वादी संजय यादव पुत्र राज बहादुर यादव, निवासी ग्राम रसूलपुर पोस्ट वीना पारा, थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़ द्वारा दिनांक 25.09.2025 को अपनी मोटरसाइकिल संख्या *UP50CJ1246 (स्प्लेंडर प्लस)* दीवानी कचहरी परिसर में खड़ी कर मुकदमे की पैरवी हेतु जाने तथा वापस आने पर मोटरसाइकिल न मिलने के संबंध में थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0 515/2025 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत कराया गया था।

गिरफ्तारी एवं घटना का अनावरण–

अपराध एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 11.09.2026 को उ0नि0 सौरभ त्रिपाठी मय हमराह पुलिस बल द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त *सूरज राजभर पुत्र भोजू राजभर, निवासी कुशहा सिखड़ी बाजार, थाना दुल्लापुर, जनपद गाजीपुर, उम्र करीब 22 वर्ष* को समय करीब 11:40 बजे प्राइवेट बस अड्डे के आगे ठंडी सड़क बांध रोड के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित *01 अदद मोटरसाइकिल एवं ₹100/- नगद* बरामद हुआ।

पूछताछ का विवरण–

पूछताछ में अभियुक्त द्वारा बताया गया कि करीब एक वर्ष पूर्व उसने जजी मैदान के अन्दर से उक्त मोटरसाइकिल चोरी की थी। चोरी के बाद पुलिस एवं आमजन से बचने तथा मोटरसाइकिल की पहचान छिपाने के उद्देश्य से उसके चेचिस एवं इंजन नम्बर को खुरचकर मिटा दिया तथा नम्बर प्लेट भी बदल दी थी। अभियुक्त द्वारा अपराध स्वीकार किये जाने के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण–

सूरज राजभर पुत्र भोजू राजभर, निवासी कुशहा सिखड़ी बाजार, थाना दुल्लापुर, जनपद गाजीपुर, उम्र करीब 22 वर्ष।

बरामदगी–

1. 01 अदद मोटरसाइकिल
2. ₹100/- नगद

पंजीकृत अभियोग–

मु0अ0सं0 515/2025 धारा 303(2)/317(2)/318(4)/336(3)/340(2) बीएनएस, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 सौरभ त्रिपाठी
2. हे0का0 अभय कुमार सिंह
3. का0 अंशुमान सिंह
4. रि0का0 हिमांशु मिश्रा

   थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़।

थाना–निजामाबाद, जनपद–आजमगढ़
□ अवैध तमंचे व जिन्दा कारतूस के साथ 02 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार
□ गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध पूर्व में गोवध, चोरी, गैंगस्टर व आर्म्स एक्ट सहित कई अभियोग पंजीकृत

घटना एवं गिरफ्तारी का विवरण–
अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 11.09.2026 की रात्रि को उ0नि0 चित्रांशु मिश्रा मय हमराह पुलिस बल द्वारा थाना क्षेत्र में रात्रि भ्रमण एवं संदिग्ध व्यक्ति/वाहन की चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान फरिहा चौक पर मुखबिर खास द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि मुहम्मदपुर की तरफ से दो संदिग्ध व्यक्ति आ रहे हैं, जिनके पास अवैध असलहा है।
मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम द्वारा मुहम्मदपुर नहर पुलिया के पास घेराबंदी कर दोनों संदिग्ध व्यक्तियों को बिना भागने का अवसर दिये पकड़ लिया गया। पूछताछ एवं जामा तलाशी में दोनों ने अपना नाम क्रमशः *शाकिब पुत्र फारुक, निवासी बखरा, थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 28 वर्ष* तथा *आमिर पुत्र कईम, निवासी बक्सपुर, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 32 वर्ष* बताया।
जामा तलाशी के दौरान अभियुक्तों के कब्जे से *02 अदद अवैध तमंचा एवं 02 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर* बरामद हुए। बरामदगी के आधार पर थाना निजामाबाद पर *मु0अ0सं0 227/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट* पंजीकृत कर दोनों अभियुक्तों को नियमानुसार गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण–
1. *शाकिब पुत्र फारुक*, निवासी बखरा, थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 28 वर्ष।
2. *आमिर पुत्र कईम*, निवासी बक्सपुर, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 32 वर्ष।

बरामदगी–
- □ 02 अदद अवैध तमंचा .315 बोर
- □ 02 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर

पंजीकृत अभियोग–
मु0अ0सं0 227/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़।
आपराधिक इतिहास–
1. अभियुक्त शाकिब पुत्र फारुक
1. मु0अ0सं0 85/2021 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम व 307 भादवि, थाना सरायमीर, आजमगढ़।
2. मु0अ0सं0 87/2021 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट, थाना सरायमीर, आजमगढ़।
3. मु0अ0सं0 108/2021 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट, थाना सरायमीर, आजमगढ़।
4. मु0अ0सं0 206/2023 धारा 3/25/7 आर्म्स एक्ट, थाना सरायमीर, आजमगढ़।
5. मु0अ0सं0 163/2024 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट, थाना सरायमीर, आजमगढ़।
6. मु0अ0सं0 168/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना सरायमीर, आजमगढ़।
7. मु0अ0सं0 391/2024 धारा 2(ख)(i)/3(1) गैंगस्टर एक्ट, थाना सरायमीर, आजमगढ़।

2. अभियुक्त आमिर पुत्र कईम
1. मु0अ0सं0 166/2018 धारा 380/411/457 भादवि, थाना मेहनगर, आजमगढ़।
2. मु0अ0सं0 190/2018 धारा 380/411/457 भादवि, थाना गम्भीरपुर, आजमगढ़।
3. मु0अ0सं0 229/2018 धारा 279/307/411/419/420/467/468 भादवि, थाना सरायमीर, आजमगढ़।
4. मु0अ0सं0 12/2020 धारा 307/411/419/420/467/468/471 भादवि, थाना बरदह, आजमगढ़।
5. मु0अ0सं0 139/2020 धारा 380/411/458 भादवि, थाना बरदह, आजमगढ़।
6. मु0अ0सं0 148/2021 धारा 379/411 भादवि, थाना सरायमीर, आजमगढ़।
7. मु0अ0सं0 629/2021 धारा 380/411/413/457 भादवि, थाना नवाबगंज, गंगानगर, प्रयागराज कमिश्नरेट।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम–
1. उ0नि0 चित्रांशु मिश्रा
2. का0 मुरारी जायसवाल
3. का0 संजीव शर्मा
4. रि0का0 अभिषेक पाण्डेय
5. रि0का0 विपिन कुशवाहा *थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़।*

थाना–कन्धरापुर, जनपद–आजमगढ़

□ गांजा तस्करी के मामले में गैंगस्टर एक्ट के तहत वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार

□ 69.812 किग्रा गांजा बरामदगी के मामले में 02 अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई

घटना का संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 29.08.2025 को थाना कन्धरापुर पुलिस द्वारा सेहदा अण्डरपास के पास चेकिंग के दौरान कन्टेनर संख्या *UK 06 CC 1141* से 07 बण्डल/पैकेट में रखा *69.812 किग्रा गांजा* बरामद किया गया था। इस सम्बन्ध में थाना कन्धरापुर पर *मु0अ0सं0 272/2025 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट* बनाम अरशद अली आदि 02 नफर पंजीकृत किया गया था। उक्त प्रकरण में अभियुक्त अरशद अली के विरुद्ध आरोप पत्र संख्या 282/2025 दिनांक 10.10.2025 को माननीय न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है।

उक्त अभियुक्तों के विरुद्ध वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में दिनांक 09.09.2026 को थाना कन्धरापुर पर *मु0अ0सं0 222/2026 धारा 2(ख)(ii)/3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया-कलाप निवारण अधिनियम* पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण–

गैंगस्टर एक्ट के उक्त मुकदमे में वांछित अभियुक्त *अरशद अली पुत्र नन्हे अली, निवासी ग्राम रईया नगला, थाना मीरगंज, जनपद बरेली, उम्र करीब 26 वर्ष* को दिनांक 12.09.2026 को समय करीब 12:05 बजे *कचहरी चौराहा, आजमगढ़* से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त अपने मुकदमे के सिलसिले में माननीय न्यायालय आजमगढ़ आया हुआ था।

पंजीकृत अभियोग–

1. मु0अ0सं0 272/2025 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट, थाना कन्धरापुर।
2. मु0अ0सं0 222/2026 धारा 2(ख)(ii)/3(1) गैंगस्टर एक्ट, थाना कन्धरापुर।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण–

अरशद अली पुत्र नन्हे अली, निवासी ग्राम रईया नगला, थाना मीरगंज, जनपद बरेली, उम्र करीब 26 वर्ष।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. नि0 अपराध संजय मिश्र, थाना कन्धरापुर
2. उ0नि0 शिवम मिश्रा, का0 रामायन गौतम का0 सुजीत कुमार थाना कन्धरापुर

जनपद–आजमगढ़

□ शादी का झांसा एवं किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने के मामलों में 02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

□ फूलपुर पुलिस ने शादी का झांसा देकर सम्बन्ध बनाने वाले अभियुक्त को दबोचा

□ सरायमीर पुलिस ने गुजरात से किशोरी की बरामदगी कर वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार

फूलपुर प्रकरण–

दिनांक 11.09.2026 को एक युवती द्वारा थाना फूलपुर पर दी गयी तहरीर के आधार पर अभियुक्त *अजय पुत्र वैजनाथ, निवासी मीरपुर, थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 25 वर्ष* के विरुद्ध शादी का झांसा देकर सम्बन्ध बनाने एवं गर्भवती होने की जानकारी देने पर शादी से इंकार करने के आरोप में *मु0अ0सं0 277/2026 धारा 69 बीएनएस व 3/4(2) बीएनएस* पंजीकृत किया गया।

थाना फूलपुर पुलिस द्वारा वांछित अभियुक्त अजय को दिनांक 12.09.2026 को समय करीब 09:05 बजे *दुर्वाषा गेट* के पास से गिरफ्तार किया गया।

सरायमीर प्रकरण–

दिनांक 04.06.2026 को किशोरी के घर से बिना बताये चले जाने के सम्बन्ध में थाना सरायमीर पर *मु0अ0सं0 154/2026 धारा 137(2)/87 बीएनएस* बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था। विवेचना के दौरान किशोरी की बरामदगी करते हुए अभियुक्त *चूड़ासमा भरतभाई पुत्र मंगाभाई, निवासी नवागाँव मामाबाड़ी, थाना कुवड़वा, जनपद राजकोट, गुजरात* का नाम प्रकाश में आया।

दिनांक 11.09.2026 को किशोरी एवं अभियुक्त को थाना सरायमीर लाया गया, जहां विवेचक द्वारा किशोरी का नियमानुसार बयान अंकित करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। प्रकरण में *धारा 137(2)/87/64(1) बीएनएस व 3/4 पॉक्सो एक्ट* के तहत अग्रिम वैधानिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण–

1. *अजय पुत्र वैजनाथ*, निवासी मीरपुर, थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 25 वर्ष।
2. *चूड़ासमा भरतभाई पुत्र मंगाभाई*, निवासी नवागाँव मामाबाड़ी, थाना कुवड़वा, जनपद राजकोट, गुजरात।

पंजीकृत अभियोग–

1. मु0अ0सं0 277/2026 धारा 69 बीएनएस व 3/4(2) बीएनएस, थाना फूलपुर।
2. मु0अ0सं0 154/2026 धारा 137(2)/87/64(1) बीएनएस व 3/4 पॉक्सो एक्ट, थाना सरायमीर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

थाना फूलपुर: उ0नि0 उमाशंकर यादव, हे0का0 अवधेश यादव एवं का0 हरिकिशन मौर्या।

थाना सरायमीर: उ0नि0 जयशंकर राठौर एवं म0का0 शहनाज खातून।